

श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर
क्रमांक - प. () () कार्मिक / 2023/4018
दि. 11.08.2023 के क्रम में यह पत्रावली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर को
स्थानान्तरित की जाती है। उभय पक्षकारन
दिनांक 09.07.24 को न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी बाड़मेर में उपस्थित हो।

25.07.24

श्रीमान् जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश
क्रमांक-प() () कार्मिक / 2023/4018
दि. 11.08.2023 के क्रम में यह पत्रावली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु से
स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। जो नए मुकदमा
संख्या में दर्ज होकर आपन्दा उभय पक्षकारन
दिनांक.../.../... को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

18.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय सभ्य में
अधिवक्ता वादी व वादीगण के नाम से
अलग-अलग सभ्य में तीन बार आवाज
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
वादी व वादीगण अपने वाद के प्रति
गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा वादी का वाद इसी स्तर पर
'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में
स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल
दफतर हो व नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर



करी
म
र